



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062020-219828
CG-DL-E-08062020-219828

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1608]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2020/ज्येष्ठ 18, 1942

No. 1608]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2020/JYAISTHA 18, 1942

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून 2020

का.आ. 1791(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 जी की उपधारा (5) के अनुसरण में, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करती है जो उक्त सारणी के कॉलम (3) और (4) में यथा.विनिर्दिष्ट अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत मध्यस्थ को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन केरल राज्य के अनुभाग के लिए करेंगे। मध्यस्थ द्वारा पंचात करते समय इस अधिनियम की 3 जी की उपधारा (6) और (7) को ध्यान में रखा जाएगा।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	राजस्व जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	सरकार के अतिरिक्त सचिव (परिवहन), पुडुचेरी की सरकार	पुडुचेरी	पुडुचेरी का यू.टी.
(ii)	जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अलपुझा	अलपुझा	केरल
(iii)	जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, कोल्लम	कोल्लम	केरल

[फा. सं. एनएचएआई/क्षे.का. केरल / 15151 / 2019 / 0799]

राजेश गुप्ता, उपसचिव (भू. अ. एवं समन्वय)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th June, 2020

S.O. 1791(E).—In pursuance of sub-section (5) of Section 3G of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby appoints the Officers mentioned in column (2) of the Table below, to be Arbitrator for the purposes of the said sub-section of who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on an Arbitrator by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction as specified in column (3) and (4) of the said Table in the state of Kerala. Sub-section (6) & (7) of Section – 3G of the Act shall be taken into consideration while passing awards by the Arbitrator.

Table

SL No.	Designation of the Officer	Revenue District	State
1.	2.	3.	4.
(i)	Additional Secretary to Government (Transport), Govt. of Puducherry	Puducherry	UT of Puducherry
(ii)	District Collector & District Magistrate, Alappuzha	Alappuzha	Kerala
(iii)	District Collector & District Magistrate, Kollam	Kollam	Kerala

[F. No. NHAI/RO-Kerala/15151/2019/0799]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.